महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय,

समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ–226 007

वेब साईट : www.upefa.comई–मेल : upefaspo@gmail.com दूरभाष : 0522-2780995, 0522-2780384

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

मिशन प्रेरणा

सेवा में,

1. उप शिक्षा निदेशक/प्राचार्य
   जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

2. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
   जनपद– अलीगढ, अम्बेडकरनगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, बदांयू, बागपत, बहराइच, बिजनौर, चंदौली, एटा, इटावा, अयोध्या, फतेहपुर, गाजियाबाद, गोण्डा, हापुड, कन्नौज, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुरखीरी, ललितपुर, लखनऊ, मऊ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संतकबीरनगर, सीतापुर, सुलतानपुर एवं वाराणसी उत्तर प्रदेश।

पत्रांक : प्री–प्राइमरी/ प्रशिक्षण/3344/2021–22 दिनांकः 28 /सितम्बर/2021

विषय : आंगनबाडी केन्द्रों पर गुणवत्ता पूर्ण ईसीसीई संचालन हेतु गतवर्ष के अवशेष आंगनबाडी कार्यकत्रियों के ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण के संबधं में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक 6045 दिनांक 11.11.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा गतवर्ष आंगनबाडी कार्यकत्रियों के प्रशिक्षण हेतु विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये गये हैं। उक्त प्रशिक्षण वर्ष 2020–21 में संचालित किया गया, तत्समय वित्तीय वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् राज्य स्तर पर ट्रैकर पर समस्त जनपदों द्वारा प्रशिक्षण की प्रगति का अंकन किया गया। उक्तानुसार जनपदों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार अवशेष आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का प्रशिक्षण वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2021–22 में प्रस्तुत किया गया। तद्नुसार पी0ए0बी0, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदन के कम में अवशेष आंगनबाडी कार्यकत्रियों के प्रशिक्षण हेतु कुल रू0 152.42980 (एक करोड बावन लाख बयालिस हजार नौ सौ अस्सी रूपये मात्र) की धनराशि संलग्न (संलग्नक–1) विवरण के अनुसार निम्नांकित निर्देशों के अंतर्गत अवमुक्त की जा रही है–

प्रशिक्षण हेतु सामान्य निर्देश –

- ✓ प्रशिक्षण हेतु पूर्व में तैयार किये गये बीएलटी द्वारा प्रशिक्षण संचालित किया जाये।
- ✓ प्रशिक्षण के पूर्व प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा गतवर्ष प्रशिक्षित ब्लॉक स्तरीय रिसोर्स पर्सन (बीएलटी) एवं जनपद स्तरीय रिसोर्स पर्सन के साथ प्रशिक्षण की तैयारी हेतु बैठक आयोजित की जाये, उक्त बैठक में प्रशिक्षण से संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग से प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। बैठक हेतु आवश्यक वित्तीय व्यय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के पास उपलब्ध कंटेजेंसी मद से किया जाये।
- ✓ प्रशिक्षण हेतु कोविड गाइडलाइन्स का अक्षराशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये यथा
  - प्रतिभागियों को उपरोक्तानुसार प्रदत्त निर्देशों के कम में निर्धारित दूरी का अनुपालन करते हुए बैठक व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
  - प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा मास्क अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाये।
  - हैण्डवॉश एवं सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
  - स्वच्छ शुद्ध पेयजल उपलबध कराया जाये (स्वच्छता मानकों) एवं जलपान में स्वच्छता नियमों के पालन किया जाये।

- ✓ ब्लॉक स्तरीय चार दिवसीय प्रशिक्षण हेतु मिनट टू मिनट प्रशिक्षण केलेण्डर एवं सत्र योजना संलग्न किया जा रहा है। (संलग्नक–2)
- ✓ प्रशिक्षण प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा प्रत्येक आंगनबाडी केन्द्र को उपलब्ध करायी पहल पुस्तिका के साथ प्रशिक्षण में प्रतिभाग किया जायेगा।

प्रशिक्षण स्थलः– जनपद में प्रशिक्षार्थियों के संख्या के अनुसार प्रशिक्षण स्थल का चयन किया जाये। इसमें यह अवश्य ध्यान रखा जाये कि प्रशिक्षण स्थल निम्नांकित संसाधनों के साथ उपलब्ध हो–

1. लेपटॉप, प्रोजेक्टर स्कीन
2. सुचारू इंटरनेट केनेक्टिविटी की व्यवस्था
3. जनरेटर (विद्युत आपूर्ति हेतु)
4. प्रतिभागियों की बैठक व्यवस्था हेतु पर्याप्त मात्रा में फर्नीचर की उपलब्धता
5. स्वच्छ/कियाशील शौचालय
6. **प्रतिभागियों की प्रशिक्षण स्थल तक पहुँच की सुगमता। (**आंगनबाडी कार्यत्रियों की अवशेष संख्या को ध्यान मे रखते हुए ऐसे प्रशिक्षण स्थल का चयन किया जाये, जहां वे सुगमता पूर्वक पहुँच सके।**)**

उपरोक्तानुसार संसाधनों से युक्त प्रशिक्षण स्थल का चयन किया जाये। प्रशिक्षण स्थल के रूप में प्रथम वरीयता ब्लॉक संसाधन केन्द्र के प्रशिक्षण हॉल को दी जाये, अपरिहार्य स्थिति में अन्यत्र उपरोक्त सुविधाओं से युक्त प्रशिक्षण स्थल का चयन किया जाये। प्रशिक्षण स्थल का भ्रमण जिला समन्वयक (प्रशिक्षण), राज्य स्तरीय संदर्भदाता एवं जनपद स्तरीय संदर्भदाता द्वारा प्रशिक्षण के पूर्व किया जाना अनिवार्य है एवं भ्रमण के पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यक व्यवस्था तथा संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।

प्रशिक्षण हेतु प्रतिभागियों का चयनः– जिला कार्यक्रम अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए अवशेष (संलग्न सूची के अनुसार) आंगनबाडी कार्यकत्रियों का चिन्हांकन किया जाये।

वित्तीय प्राविधानः–

- ✓ ब्लॉक स्तरीय अध्यापक प्रशिक्षण हेतु **कुल रू0 152.6212 (एक करोड बावन लाख छः हजार दो सौ बारह रूपये मात्र)** की धनराशि (जनपदवार संलग्न) अवमुक्त की जा रही है।
- ✓ अवमुक्त धनराशि का उपभोग फाइनेन्शियल मैनेजमेंट एण्ड प्रोक्योरमेंट 2018 के प्राविधानों के अंतर्गत किया जाये तथा संबंधित व्यय पी0एम0एस0 पोर्टल (प्रबन्धन) पर पूर्व प्राथमिक स्तर (PrePrimary) शीर्षक के अंतर्गत अंकित किया जायेगा।
- ✓ संबंधित मद में किये गये उपभोग से संबंधित बिल वाउचर आदि पत्राजात जनपद एवं ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों में संरक्षित रखे जायेंगे।
- ✓ ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण हेतु उक्त धनराशि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा प्रशिक्षण प्रारंभ होने के एक सप्ताह के पूर्व संबंधित ब्लॉक संसाधन केन्द्र के खाते में हस्तान्तरित की जाये।

उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुचारू रूप से संचालित करने हेतु बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के प्रशिक्षण संबंधी कार्य एवं दायित्व निम्नानुसार निर्धारित किये जाते हैं–

प्राचार्य डायट के दायित्व

- ✓ उक्त प्रशिक्षण से संबंधित उन्मुखीकरण कार्यक्रम में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा अकादमिक नेतृत्व प्रदान किया जाना है, जिसके क्रम में नामित डायट मेंटर द्वारा प्रशिक्षण का अनुश्रवण करते हुए प्रगति से राज्य स्तर पर प्रेषित कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- ✓ प्रशिक्षण प्रारंभ होने के पूर्व प्रशिक्षण तैयारी बैठक की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किये जायें।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी के दायित्व

- ✓ पी0ए0बी0 2021–22 के अनुमोदन के क्रम में उक्त प्रशिक्षण का बजट संलग्न तालिकानुसार अवमुक्त किया जा रहा है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संबंधित जनपद का यह उत्तरदायित्व होगा कि निर्धारित समयावधि में संबंधित को बजट की उपलब्धता सुनिश्चित करायेंगे।
- ✓ इसके साथ ही जनपद स्तरीय उक्त प्रशिक्षण संबंधित समस्त व्यवस्थाओं हेतु जिला समन्वयक प्रशिक्षण को नोडल रूप में नामित किया जाये।
- ✓ जनपद स्तर पर प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक संचालन हेतु निम्नवत् अनुश्रवण समिति गठित की जाये:

1. प्राचार्य, डायट संबंधित जनपद	—	अध्यक्ष
2. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, संबंधित जनपद	—	सदस्य सचिव
3. जिला समन्वयक प्रशिक्षण, संबंधित जनपद	—	सदस्य
4. राज्य स्तरीय संदर्भदाता (डायट मेंटर एवं एसआरजी)	—	सदस्य

जनपद स्तरीय समिति ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण के संफलापूर्वक संचालन हेतु उप समिति का गठन किया जाये एवं प्रत्येक विकास खण्ड में प्रशिक्षण का शत–प्रतिशत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाये।

जिला कार्यक्रम अधिकारी के दायित्व

- ✓ प्रशिक्षण हेतु चिन्हित आंगनबाडी कार्यकत्रियों की सूची जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराना।
- ✓ गतवर्ष बीएलटी के रूप में प्रशिक्षित मुख्य सेविका/आंगनबाडी कार्यकत्री एवं सुपरवाइजर (जनपदीय रिसोर्स पर्सन) को प्रशिक्षण हेतु नामित करते हुए प्रशिक्षण संचालित करने हेतु नेतृत्व प्रदान करने संबंधी निर्देश निर्गत करना।
- ✓ उक्त के अतिरिक्त अन्य पृच्छा की स्थिति में अपना नेतृत्व जनपद टीम को प्रदान करना।

जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) के दायित्व

- ✓ जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण के नोडल के रूप में कार्य करेंगे एवं उक्त प्रशिक्षण से संबंधित समस्त व्यवस्थायें एवं बजट आवंटन का कार्य समय से संपादित कराया जायेगा।
- ✓ राज्य स्तर से प्रशिक्षण संबंधी सूचनाओं एवं डायट स्तर पर प्रशिक्षण हेतु अकादमिक नेतृत्व प्रदान कराने में जिला परियोजना कार्यालय एवं डायट के मध्य समन्वय स्थापित करने हेतु उत्तदायी होंगे।

खण्ड शिक्षा अधिकारी के दायित्व

- ✓ प्रशिक्षण हेतु आवश्यक संसाधन यथा बैठक की व्यवस्था, प्रोजेक्टर, जेनरेटर, स्टेशनरी एवं जलपान आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- ✓ प्रत्येक प्रशिक्षण बैच में किसी भी स्थिति में 40 से अधिक प्रतिभागी भाग नहीं लेंगे। कोविड–19 की गाइडलाइन्स का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

- ✓ प्रशिक्षण के यथा आवश्यक फोटोग्राफस आदि संकलित करते हुए प्रशिक्षण का एलबम बनाना सुनिश्चित करेंगे।
- ✓ प्रशिक्षण की प्रगति का अंकन दिये गये गूगल लिंक पर किया जाये। **(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wRrdoz_Hmo2dONCLuAL9w3_YIfs_3jfODmSojGHyHmU/edit?usp=sharing)**

एस0आर0जी0 एवं डायट मेंटर के दायित्व

- ✓ प्रशिक्षण के पूर्व बीएलटी का उन्मुखीकरण करना सुनिश्चित करें।
- ✓ प्रशिक्षण में अनुश्रवणकर्ता के रूप में प्रतिभाग करें

उक्तानुसार दिये गये निर्देशों के अंतर्गत 30 नवम्बर 2021 के पूर्व प्रशिक्षण पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
नोटः—उक्त प्रशिक्षण से संबंधित किसी पृच्छा की स्थिति में सुश्री अंकिता गुप्ता(मो0—8910557467), श्री अदीब बशर (मो0—8285385735) एवं श्री गुफरान अली सिद्दीकी (मो0—7860566000) से सपंर्क किया जाये।

संलग्नकः— उक्तवत।

भवदीय,

(अनामिका सिंह)
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्याः प्री—प्राइमरी / प्रशिक्षण / 3344 / 2021—22 तद्दिनांक।

1. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0।
4. जिलाधिकारी, संबंधित जनपद, उ0प्र0।
5. मुख्य विकास अधिकारी, संबंधित जनपद, उ0प्र0।
6. शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0।
7. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उ0प्र0।
8. निदेशक, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, प्रयागराज, उ0प्र0।
9. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), समस्त मण्डल, उ0प्र0।
10. जिला कार्यक्रम अधिकारी, संबंधित जनपद, उ0प्र0।
11. खण्ड शिक्षा अधिकारी, संबंधित विकास खण्ड, उ0प्र0।
12. श्री रित्विक पात्रा, शिक्षा विशेषज्ञ, यूनीसेफ, उ0प्र0।
13. जिला समन्वयक प्रशिक्षण, संबंधित जनपद, उ0प्र0।

(अनामिका सिंह)
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश।